हमारा पर्यावरण

छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ का सोच

शंकर गुहा नियोगी

शहीद शंकर गुहा नियोगी यादगार समिति

प्रथम संस्करण : अक्टूबर 1991

सहायता राशि : तीन रूपये

प्रकाशक: छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
सी.एम.एस.एस. आफिस
दल्ली – राजहरा
दुर्ग (छ.ग.) 491228

कामरेड शंकर गुहा नियोगी जुलाई 1991 के तीसरा व चौथा सप्ताहों में यह लेख लिखे थे। यह ही उनका आखिरी लेख था।

लोक साहित्य परिषद अक्टूबर में लेख को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने वाली थी। नियोगी पुस्तक की छपाई आदि के बारे में कई सुझाव दिये थे। अक्टूबर में ही पुस्तक छप – कर निकल रही है, लेकिन अक्टूबर तक नियोगी हमारे बीच नही रहे। 28 सितम्बर भिलाई के उद्योगपतियों ने उनकी हत्या करवा दी, वर्ग संघर्ष में कामरेड शहीद हुए।

नियोगी की राजनीति, छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ की राजनीति " संघर्ष और रचना की राजनीति " है। " संघर्ष के लिए निर्माण, निर्माण के लिए संघर्ष "। इनका नारा है। इस पुस्तक में भी हमे इस नीति का प्रतिफलन मिलता है।

पर्यावरण आंदोलन के बारे में छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ के सोच समझ को कामरेड नियोगी लिपिबद्ध किये थे, ताकि इस देश के अन्य संघर्षरत संगठनों में भी व्यापक चर्चा हो सके।

छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ : संक्षिप्त परिचय

छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ, खदान मजदूरों का एक संगठन है। यह यूनियन एक पंजीकृत संस्था है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं.२०१९ है। भारत में कार्यरत हजारों ट्रेड यूनियन अब तक सिर्फ मजदूरों की आर्थिक समस्याओं पर ही कार्य करते है। सी.एम.एस. ने अपनी शुरूआत के दिन से ही परम्परागत ट्रेड यूनियनों की कार्य पद्धति से अलग ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरूआत की, जिससे इस यूनियन के नेतृत्व में मजदूर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते है।

यह ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के अलावा अन्य असंगठित मजदूरों एवं आसपास की आदिवासी ग्रामीण जनता के बीच '' स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो '' का एक आंदोलन पिछले ८ – १० वर्षो से चलाती आ रही है। इस सिलसिले में उसने जादू, नुक्कड नाटक, परचा पुस्तिका, भाषण एवं अन्य छोटे – छोटे कार्यक्रमों के जिरिये इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के एक अंग के रूप में मजदूरों ने एक अस्पताल का भी निर्माण किया, जिसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे – सुसज्जित आपरेशन थियेटर, प्रसूतिका गृह आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। वर्तमान में बेड संख्या ५० से अधिक है।

सी.एम.एस.एस. ने इतिहास खोजने का भी काम किया एवं ऐतिहासिक पुरूषों के बलिदान दिवस आयोजन कर क्षेत्र की जनता में नई चेतना एवं स्वाभिमान की भावना को बढ़ाया। इस सम्बन्ध में शहीद वीर नारायणसिंह का नाम उल्लेखनीय है।

मजदूरों मे शराब की लत को दूर करने के लिए यूनियन ने शराब बंदी आन्दोलन को कामयाबी के साथ संचालित किया। आज यह यूनियन शराब बंदी का एक पर्याय बन चुका है।

खेलकूद, शिक्षा आदि मुद्दों पर भी इस यूनियन के उल्लेखनीय कार्य किया, कम से कम ६ स्कूल भवनों का निर्माण कर सरकार को सौंपा गया है। वर्तमान में एक प्राथमिक शाला भी इस यूनियन के द्वारा संचालित होता है। महिलाओं की जागरूकता के लिये भी यह यूनियन प्रयासरत है एवं हजारों की संख्या में महिलाएं संगठित होकर इस यूनियन के नेतृत्व में महिलाओं की विशेष समस्याओं के निराकरण के लिये भी प्रयासरत हैं।

पर्यावरण की समस्या को भी इस यूनियन ने बार – बार उठाया है एवं पर्यावरण के मुद्दों पर '' मगर के आंसू '' न बहाकर ठोस कार्यक्रमों के आधार पर पर्यावरण

हमारी ट्रेड यूनियन ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्यक्रमों में दिलचस्पी क्यों ली ?

प्रेक्षण एक पद्धति है। जिससे हम जानकारियां प्राप्त करते है। समानताओं, समस्याओं एवं समधर्मिताओं या असमानताओं विरूपताओं एवम् विपरीत धर्मिताओं का पर्यवेक्षण कर हम अपनी जानकारी को पक्का बनाते है। जानकारी हासिल करना हमारी सभी की बुनियाद है।

विचलित करने वाली जानकारियों – जैसे कि वायुमंडल के उपरी सतह के ओजोन प्रलेप का विघटन, हवा में आक्सीजन की कमी, जहरीली गैसों का प्रतिशत बढ़ जाना आदि हमें व्याकुल बनाती हैं। ट्रेड युनियन के जागरूक कार्यकर्ता इस पर समय – समय पर चर्चा करते है।

क्षेत्र में स्थित शंखिनी नदी का पानी और दल्ली माईन्स से निकलता हुआ प्राकृतिक नाला का पानी जब लौह अयस्क के फाइन्स के साथ मिलकर रक्त रंग से रंगीन हो जाता है या डिस्टिलरी, इस्पात कारखाना और फर्टिलाइजर प्लांट से निकलते हुए विभिन्न केमिकल्स से विषाक्त तरल पदार्थ जब शिवनाथ या खारून नदी के पानी को जहरीला बना देता है, तब औद्योगिक विकास के नाम पर विनाश की प्रक्रिया देखकर हम चिंतित हो उठते है। युनियन में गर्मागर्म बहस होती है।

गैस बूस्टर, एक्सलोटर, कंप्रेशर या ब्लास्टर फार्नेस में काम करने वाले मजदूर साथी जब कुछ दिन काम करने के बाद कोयल की मधुर आवाज को न सुन पाने की शिकायत करते है, हम उसे अपनी बदनसीबी मानकर चुप रह जाते हैं।

उल्लेखित जानकारीयां साधारण प्रकृति की है, फिर भी हम पर्यावरण की सुरक्षा के विशेष मुद्दे को साधारण प्रकृति की जानकारियों के साथ मिलाकर देखने में असमर्थ रहे हैं।

खदान परिक्षेत्र में पर्यावरण की विनाश लीला तब तक चरम बिन्दु पर थी ट्रेड युनियन के कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि –

(१) जहां अन्याय या अत्याचार हो वहां प्रतिरोध अवश्य होगा।

(२) विनाश की प्रक्रिया के निर्माण की सृजनशीलता द्वारा मुकाबला किया जा सकता है

बात छोटी सी थी – एक आदिवासी किसान एक रोज युनियन दफ्तर में आकर रोने लगा और कहा कि वह और उनके साथी सूखी जलाऊ लकड़ी का गट्ठा सिर में ढ़ोते हुए ला रहे थे तब जंगल विभाग के एक अधिकारी ने उन्हे मारपीट कर उनसे जलाऊ लकड़ी का गट्ठा छीन लिया और हाथों हाथ दूसरों को वह लकड़ी बेच दी '' कल हरियाली त्यौहार का दिन है किसानों का पहला त्यौहार और हमें बच्चों के साथ भूखा रहना होगा''।

यूनियन कार्यकर्ता ने पूछा '' अब वह जंगल अधिकारी कहां मिल सकेगा '' ? आदिवासी किसान ने जवाब दिया '' वह तो शराब पीकर बस्ती में मस्ती कर रहा है ''।

जानकारी हासिल की एवं राजहरा पुलिस स्टेशन जाकर सिटी सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस (सी.एस.पी.) से संपर्क किया। पुलिस पहले तो आनाकानी करती रही पर युनियन के दबाव से घटना स्थल पर गयी एवं जंगल अधिकारी की गाड़ी में बैठाकर ले आयी। फिर भी आदिवासी की समस्या के उपर चर्चा नही हो पायी। कारण यह है कि उस समय जंगल अधिकारी को पेश होने के लिए अपना बंगला जाना जरूरी थी। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आदिवासी ने आरोप लगाया कि जंगल अधिकारी ने उससे ५/– रूपये प्रति गट्ठा मांगा। न देने पर उसने पूरे गट्ठे छीन लिये।

जंगल अधिकारी – इस आदमी ने जंगल का नुकसान किया था। हमें पर्यावरण की सुरक्षा को भी देखना है। हम तो इस पर केश भी चला सकते थे। ट्रेड यूनियन प्र. – क्या ५/– रू. देने पर गट्ठा कानूनी बन जाता ? जं. अ. – यह ५/– रू. का आरोप गलत है।

सी.एस.पी. (पुलिस) – किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए ट्रे.यू.प्र. इलाके के सारे जंगल गायब हो गये हैं। आरा मिल वाले ठेकेदार लोग, राजनीतिक पार्टी के नेतागण मिलकर ट्रकों में लादकर जंगल की सारी ईमारती लकड़िया चाट गये। उस समय पर्यावरण का नुकसान नही हुआ? गैर कानूनी काम नहीं हुआ ? आपके सारे कानून आदिवासीयों एवं गरीबों के ऊपर ही बोझे की तरह लदे हुए है। कानून के रक्षक अगर अब जंगल इलाके के ग्रामिणों में असुरक्षा पैदा करेगें तो हमें जन – आंदोलन के जरिये जंगल एवं आदिवासियों की सुकक्षा करनी होगी। और उस दिन से हमारी ट्रेड यूनियन ने एक चुनौती स्वीकार की, जिस पर आगे चलकर ट्रेड युनियन ने अपनी एक नई शाखा का निर्माण किया और इस शाखा ने अपने जंगल को पहचानों का नारा लेकर एक नये आन्दोलन की शुरूआत की।

यूनियन ने अपने विचार को पक्का बनाया।

बहस एवं जन – आंदोलन को रचनात्मक दिशा देने के लिये हर सप्ताह यूनियन दफ्तर में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। कई बैठकों के बाद निम्नलिखित मुद्दों को तय किया गया।

(१) पर्यावरण के विनाश के कारणों को विश्लेषण करना होगा।

(२) समग्र रूप से पर्यावरण के ऊपर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास करना होगा।

(३) पर्यावरण में , जहां तक जंगल का सवाल है, जंगली इलाका के निवासियों के जंगल पर आधारित उनके हित को सुनिश्चित करना होगा ताकि जंगल इलाका के लोगों को यह भावना बनी रहे कि ''जंगल हमारी संपत्ति है''।

(४) वर्तमान जंगल नीति के तहत जिन गलत उपायों पर अमल किया जा रहा है, उन्हे बदलने के लिए यथा संभव प्रयास किया जाएगा। एक वैकल्पिक पद्धति का प्रचार

५) व्यवस्था की विकृतियों पर कठोर प्रहार किया जाएगा एवं साथ – साथ सुझाव के रूप में नई रूप रेखा बनायी जाएगी।

६) '' अपने जंगल को पहचानों '' के तहत एक नये प्रकार का कार्यक्रम बनाया ताकि जंगल के साथ हमारे रिश्ते को हम मजबूत कर सकें।

७) जल प्रदूषण पर कठोर प्रहार किया जाएगा और शुद्ध एवं साफ जल के लिए सरकार से अधिक से अधिक नलकूप निर्माण के लिये मांग की जाएगी।

८) ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये लाउड स्पीकरों की बहुतायत उपयोग के खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश की जाएगी।

९) यूनियन के जागरूक कार्यकर्ता देश विदेश में हो रहे पर्यावरण आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करेगें एवं आंदोलन के पक्ष में भाई – चारा आंदोलन सहित अन्य प्रकार का समर्थन देने के लिये अपने सदस्यगण एवं आम जनता को तैयार करेगें।

(१०) उद्योग में जहां हमारी यूनियन कार्यरत है, वहां विशेष रूप से हवा में उड़ती हुई धूल कणों को रोकने के लिये इन उद्योगों के मैनेजमेंट से मांग करना। साथ – साथ ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण पीड़ित मजदूर साथियों के लिये कुछ कार्यक्रम तय कराना।

(११) पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ में नौकरशाहों / अधिकारीयों का श्रम एवं धन शक्ति की फिजूल खर्ची के खिलाफ, आवाज बुलंद करना। पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ में मजदूर – विरोधी नीतियों को चलाने पर रोक लगाना, पर्यावरण को विमूर्त रूप से देखते हुए उद्योग विरोधी वातावरण तैयार करने के खिलाफ कठोर प्रतिरोध पैदा करना जरूरी है।

यह क्षेत्र बस्तर जिले के उत्तर और दुर्ग जिला के दक्षिण भाग में स्थित है। जहां किलेकोड़ा पहाड़ समाप्त होता है, दल्ली, झरनदल्ली , राजहरा, महामाया की पहाड़ियों के बीच तांदुला, सुखा, किरियाकसा नाला क्षेत्र के आसपास प्रवाहित होता है। यह क्षेत्र लोह खनिज से भरपूर है और यहां वर्तमान में एक विकसित एवं एशिया की वृहत्तम लोह खदान है। आज से ३५ वर्ष पूर्व जब लोग कुसुमकसा से डौंडी या बस्तर की तरफ चलते थे तो घने जंगल से होकर उन्हे गुजरना पड़ता था। बीच – बीच में आदिवासियों के छोटे – छोटे गांव अरमुरकसा , बुरकालकसा, अड़जाल आदि नामों से यह पता चलता है कि इलाके के निवासी गोंड़ जाति के होते थे और उनकी बोली गोड़ी थी। पूरा इलाका हरियाली की छटा से भरपूर था। कोयल, पड़की, मयुर और अन्य पक्षियों की मधुर आवाज किरियाकसा, झरन एवं बोईरडीह नाले के बहते पानी के कल – कल स्वर से मिलकर एक संगीतमय वातावरण हमेशा बना रहता थ। गांवों मे आदिवासी बालक – बालिकाओं , नवयुवकों एवं

फिर आया एक दिन जियेलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के लोग आये , फिर आयी रशियन तकनिशियनों के साथ मिलकर भारतीय इंजिनियरों की टोली। एक दिन जोरदार ब्लास्टिंग का धमाका हुआ। आदिवासीयों गांवों के लोग, जंगल के सभी जीव और हरियाली की छतरी फैलाए जंगल के सारे पेड़ कांप उठे। फिर बार – बार ब्लास्टिंग के धमाके होते गये। बुल्डोजर , डम्पर आदि की घर्र – घर्र की आवाज शुरू हुई। मयूर और कोयल पता नही कहां , उड़ गये। रिलों का नाच समाप्त हुआ। मांदर चुप हो गया। एक के बाद एक छोटे बड़े पेड़ लाखों की संख्या में धूल में मिल गये। नये – नये पूरे इलाके में चारों तरफ , आरा मिल वालों ने डेरा जमाया। झाड़ों की चीर – फाड़ होती चली गयी।

किरियाकसा नाला, झरन नाला का पानी लोह अयस्क फाइन्स के साथ मिलकर रक्त रंग से रंगीन हो गया। जहां देखो वहां लाल पानी।

फिर एक दिन आया। जब जंगल की बात तो दूर पेड़ पौधों का नामों निशान मिट गया। क्षेत्र के आरा मिल वाले और राजनांदगांव , दुर्ग एवं रायपुर के व्यापारियों ने कवेलू घरों के स्थान पर बड़े बड़े महलों का तांता लगा दिये। लौह अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ। राजहरा के लौह अयस्क ने भिलाई की घमन भट्ठीयों में पिंघल कर इस्पात कराखाने की चिमनियों ने फेरस आक्साइड और कार्बन मोनोसाइड के धुंए लगलते हुए '' विकास का झंडा '' बुलंद किया। विनाश की ध्वंश लीला की बुनियाद पर विकास की नई मंजिल खड़ी हुई।

फिर बना सीमेंट कारखाना। आस पास खेतों में सीमेंट कण गिरने लगे। मिल के बाद मिल किसानों के खेतों की हरियाली को निगलते गये। लाखो किसान सिर पिटते रहे। फिर आया डिस्टीलरी मोलासेस की सड़न ने इलाके हवा में दुर्गन्ध फैला दिया। खारून और शिवनाथ नदीयों का पानी भी फर्टीलाइजर , डिस्टीलरी, मेज फेक्ट्री से निकले हुए विषाक्त तरल पदार्थो से कवषाक्त हुआ। खुजली का प्रकोप गांव गांव में फैल गया।गाय गरू आदि जानवर की मृत्यु दर में अस्वाभाविक वृद्धि हुई है। शहरो की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दुर्गन्ध के वातावरण में चारों तरफ भारी भारी मशीनों की आवाजा।मशीनो के कलपूर्जो से रिसते हुए तेल और तेजाब मिश्रित पानी को व्यवहार में लाकर लाखों झुग्गी–झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़ों कीह तरह जीवन जीने के लिए मजबूर है। पर्यावरण की सुरक्षा अब अहम् मुद्दा है। और नयी चुनौती हमे ललकार रही है।

आसमान विकास और कृत्रिम कायदो से भावना नही बनती

''आषाडस्य प्रथम दिवसे '' अब मयूर अपने पंख फैलाकर नाचते नही हैं। जंगल में पेड़ों का गिरना बराबर जारी है । दूसरी तरफ कंक्रीट की जंगलों में प्रतिदिन शाखाऐं बढ़ती जा रही है। ईंटों के सांचे पर लोहे के पिंजरे के बीच इंसानों की एक नई दुनिया बसती जा रही है। जहां लोग टेलीविजन में यहां या समुद्र का दर्शन करते है। दुनिया की सारी सुन्दरता को कुछ मिनटों में ही देखा जा सकता है।

बड़ी – बड़ी कंपनियों के दफ्तरों में आदिवासी बालाओं की अर्ध नग्न तस्वीरों या जंगल झाड़ी के आयल पेन्टिगों (तैल चित्र) को वे अपनी आदिवासी संस्कृति के प्रति लगाव का सबूत बताते है। बोरियत हुई तो दार्जिलिंग के टायगर हिल में जाकर सूर्योदय देख आते है या अरब सागर में डूबते हुए सूरज का दर्शन गोवा के समुद्र तट पर करने चले जाते है। गांव में रात आती है। सर्दी के महिनों में आग जलाकर आदिवासी गांव में नाचते रहते है। चारो ओर का सुनसान ढोलकी की आवाज से घुंघरू गाते है। आदिवासी गांव में युवक – युवतियां गाते हैं – '' तुमिन शहर के मन अब सूते हो, हमन चन्दा ला संगवारी बनाके नाचत रहिथन ''। अर्थात आप शहर के लोग जब सोते रहते हो, तब हम चन्द्रमा को साथी बनाकर नाचते – गाते रहते है।

कितना फर्क। और फिर जब ट्रक में लादकर सारा का सारा जंगल शहर की ओर भाग रहा है, बांस कागज की मिलों में पहुंच रहा है, उस समय, यह समझ पाना कि पर्यावरण पर एक राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसीत होगी, मुश्किल हो जाता है।

आज की दुनिया बहुत छोटी बनती जा रही है। दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। इराक में युद्ध के कारण पर्यावरण पर असर पड़ा है। हम जानते है कि वर्तमान समय में कई ज्वालामुखी फूट रहें है जिससे पर्यावरण असुरक्षित है। अंटाकटिका में प्रयोग जारी है। इस समय मेरे घर के पांच पेड़ और मेरी बस्ती के कुछ दर्जन झाड़ से क्या पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे ?

एक तरफ राष्ट्रीय असमान विकास की धाराएं और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पैमाने में घटित घटनाऐं और उनसे पर्यावरण पर पड़ा प्रतिकूल असर, इससे पर्यावरण पर हमारी राष्ट्रीय चेतना कुंठित हो जाती है।

आम जनमानस गणित के आंकड़ों से उद्वेलित होता नही। भावनाओं को जब तक तार्किक/ गणितीय रूप नही दिया जायेगा, तब तक कर्म – रूपी सृष्टि संभव नही हैं। इसीलिए भावना और तर्क के मिश्रण से ही बनेगी पर्यावरण पर राष्ट्रीय चेतना।

यूनियन ने इसीलिए पर्यावरण स्थान पर प्रकृति शब्द को अपनाया यह प्रकृति, हमारे क्षेत्र की प्रकृति, सदियों से हमारी पुरखों की शुरूआत के पहले से चलती आ रही है। हमारे पुरखे जिस हवा में सांस लेते थे, जिन नदियों के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे, उन्हे नष्ट करने का अधिकार हमें नही है। यह नदी, यह हवा, यह पहाड़, यह जंगल, यह पक्षियों का चहकना – यह हमारा देश है। हम जिस विज्ञान की सहायता से हमारी दुनिया को आगे बढ़ायेगें लेकिन इस पर भी अवश्य ध्यान रखेगें कि नदियों का स्वच्छ पानी कल – कल स्वर से बहता रहे, ताजा शुद्ध हवा, हमारे मन को तरोताजा बनाती रहे। हम अपने कानों से उन पक्षियों की आवाज सुनते रहे, जो पंछी गा – गा कर हमारे पुरखों की भावना को प्रकृति – मुखी बनाती रही है।

और तब फिर हमारे देश के इंसानों को प्यार करना, देश प्रेम कहलाएगा, हमारे देश की प्रकृति से प्यार करना देशप्रेम कहलाएगा। विज्ञान प्रकृति की हत्या नही करेगा। यही विज्ञान हमारा विज्ञान कहलाएगा। ऐसा ही होगा पर्यावरण पर राष्ट्रीय चेतना का विकास।

व्यक्ति हित, सामूहिक हित, देश हित

यह सर्व विदित है कि जंगल क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर दूर के निवासी, व्यापारी बन कर जंगल क्षेत्र के आसपास आये और जंगल को लूटकर मालामाल हो गये। वे शहरी गणमान्य नागरिक कहलाते है। अधिकारीयों के साथ बैठकर इनका खाना – पीना मेल – मुलाकात होती है। इनके निकटतम पारिवारिक रिश्ते के लोग महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति भी होते है। उनके पास कई ट्रके होती है या आरा मिल या लकड़ी टाल होता है। ये व्यक्ति जंगल विभाग के ठेकेदार भी हो सकते है। जंगल से वे अपने हित सिद्ध करते है। इनकी हर पल व्यक्ति हित पर आधारित होता है।

भारत के जंगल के इलाके में रहने वाले लोग साधारण आदिवासी होते है एक भी आदिवासी से आज तक जंगल से व्यक्तिहित का साक्ष्य नही पाया गया। रोजमर्रे की जरूरत पूर्ति करने में भी हन्हे मुर्गी या पैसा जंगल अधिकारीयों को देते है।

सामूहिक हित और देशभक्ति में निकट संबंध होता है। देश में जन शब्द निहित है। जनहित या सामूहिक हित और देश हित एक दूसरे के परिपूरक हैं।

जंगल कानून बनाते समय आदिवासी इलाके के सामूहिक हित के मुद्दों पर विचार नही किया जाता। १८९७ में पहली बार अंग्रेजों ने जंगल कानून बनाया। इसके बाद से ही अनर्थ शुरू हुआ। जंगल क्षेत्र के निवासियों के अधिकार छीन लिये गये। ''यह हमारा जंगल है'' कहलाने वाले आदिवासी जंगल के विनास पर जो उससे सबसे ज्यादा परेशान होते थे – जिनके पूर्वज जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं – जंगल कानून ने हमेशा उन आदिवासीयों पर ही प्रहार किया। इसीलिए आज जंगल का कोई मां – बाप नही हैं। नौकरशाही का ढ़ांचा जब जंगल कानून को यांत्रिक रूप से लागू करता है तब वन अधिकारी जंगल राज कायम कर बैठता है।

जंगल कानून में सुधार होना अनिवार्य है। स्पष्ट रूप में जंगल चोरों को चिन्हित करना आवश्यक है। जंगल इलाके के करोड़ पतियों की एक लिस्ट बनानी चाहिए उन पर अंकुश लगाने के लिये कानून को मुस्तेद बनाना चाहिए और कानून लागू करने के लिये हर एक जंगल क्षेत्र के गांव के निवासियों का पूर्ण सहयोग मांगना चाहिए।

तेंदू पत्ता, तेंदू, बेल, चार, साल्बी, महुआ, बांस, दोंना बनाने की पत्तियां, जंगली बेर (जिसमें रेशम के कीड़ो का पालन होता है (पलास) जिसमें लाख के कीड़ों का पालन किया जाता है।

जंगल निवासियों का अधिकार एवं कानूनी सरंक्षण कायम होना चाहिए।

जंगल के निकटस्थ किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक जलावन की व्यवस्था जंगल के कानूनी रूप से होना चाहिए। आदिवासियों को मकान बनाने के लिए आवश्यक लकड़ियों की व्यवस्था उनके आस पास के जंगल से ही यह अधिकार कानूनन रूप से मिलना चाहिए। भले ही उनके लिये निर्धारित शुल्क उन्हे देना पड़े।

जबकि वर्तमान में यह प्रावधान कहीं – कहीं कुछ मात्रा में स्वीकार किया गया है। फिर भी कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है या कानून लागू करने वाले अधिकारीयों के निकम्मेपन, गैर – जिम्मेदाराना हरकत एवं अनाधारी प्रवृत्ति के कारण आदिवासी इन कानूनों की फायदा नही उठा पाते है और वन विभाग के अधिकारीयों की निरकुशता बढ़ती जाती है। इस ओर ध्यान देकर जंगल इलाके के निवासियों का जंगल पर आधारित नितियों को सुनिश्चित करना होगा। जिस दिन यह सुनिश्चित हो सकेगा, उस दिन से '' हमारा अपने जंगल की रक्षा करेगें '' कहकर जंगल इलाके का हर एक नन्हा – मुन्ना भी अपनी शिशु आंखों को पैनी बनाकर जंगल पर निगरानी रखेगा। जंगल के चोरी पर अंकुश लगेगा निकम्मे एवं अनाचारी नौकरशाहों की गलती को दूर किया जा सकेगा। जंगल पर कुल्हाड़ी की एक भी नाजायज चोट से सारे जंगल इलाके चीख उठेगें, क्योकि जंगल उस समय जनहित साधने का एक साधन बनेगा। जनहित से देश हित की रक्षा होगी और पर्यावरण की रक्षा साथ – साथ मानवता की रक्षा की एक गारंटी बन जाएगी।

यूनियन इस मुद्दों पर समय – समय पर मांग करती रही, अधकारीयों से चर्चा करती रही। कभी – कभी इन मुद्दों पर जन – आंदोलन भी शुरू किया गया एवं आदिवासीयों के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। साथ – साथ जंगल चोरी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया।

जंगल चोरों से छुटकारा

घटना लगभग १० बरस पहले की है। ग्राम साल्हेटोला के निवासी इस बात से परेशान थे कि झलमला गांव की आरा मिल वाले उनके गांव के जंगल से सागौन काटकर ले जाते थे। ग्राम वासियों ने वन – विभाग, पुलिस – विभाग व राजनैतिक नेताओं के कई बार शिकायत की मगर सभी ने उन्हे अनसुना कर दिया।

फिर यूनियन ने ग्रामवासियों को एक तरीका सुझाया। वह था कि ग्रामवासी एक समारोह धूम धाम पूर्वक करेंगें जिसमें २ – ४ वृक्षा के रोपण के साथ वन – महोत्सव मनाएगें।

इस कार्य के बाद जंगल – चोर उस जंगल का रास्ता भूल गए और सागौन की चोरी बंद हुई।

एक संतुलित नीति ही पर्यावरण रक्षा का कवच है .

(१) पर्यावरण की सुरक्षा जंगलों के महत्व को औद्योगिक सभ्यता के बढ़ने के समय से ही पहचाना गया है। धुंआ, गैस उगलते कारखानों से वायुमंडलीय संरचना में हो रहे शहरी परिवर्तन को कुछ हद तक जंगल के जरिये से ही संतुलित बनाया जा सकता है।

फिर यदि संतुलन रक्षक जंगल को ही उद्योगों की खुराक (कच्चा माल) बनाया जाएगा तो वह संतुलन कैसे बनाकर रखा जाएगा ? वर्तमान वन नीति के तहत यूक्लिप्टिस, नीलगिरी, पाइन आदि झाड़ों को धड़ल्ले से लगाया जा रहा है जिससे उद्योगों की जरूरतों की पूर्ति हो पा रही है। पर जंगल के विनाश को रोकना असंभव हो गया है। इसी नीति के तहत सोनोकल्चर रोपणी की गलत प्रवृत्ति भी है। लिसके खिलाफ यूनियन ने आवाज उठाई एवं समविचार साथियों के साथ मिलकर समय - समय पर विरोध की दीवार खड़ी की। पाईन रोपण के खिलाफ व्यापक चर्चा हो चुकी है। सागौन का मोनो कल्चर रोपण भी उतना ही गलत है, जहां उसकी चौड़ी पत्तियाँ गिनती है वहां घास का उगना भी बंद हो जाता है। युनियन समय - समय पर अपने इस सुझाव को वन विभाग अधिकारीयों को देता रहा है।

(२) मानोकल्चर रोपण पर तो बहुत जोर दिया जा रहा है इसके लिए विश्व बैंक से सहायता भी मिल रही है, पर इसी रोपण के नाम पर परम्परागत विभिन्न पेड़ों वाले जंगलों की कटाई बेतहाशा जारी है। काटकर वन - डिपो में एकत्रित किए गए तनों को उत्पादन के रूप में दिखाया जाता है, हर वर्ष पिछले वर्ष से ऊपर '' उत्पादन'' का लक्ष्य तय किया जाता है , अधिकारीयों की कार्यकुशलता , या तरक्की निश्चित होती है। जब तक '' उत्पादन '' की यह धारणा बनी रहेगी, तब तक जंगल गायब होते रहेगें।

(३) महुआ, चार, तेंदू आदि पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध लगने से , स्वाभाविक प्रजनन (नेचुरल रिप्रोडक्शन) के तहत इन पेड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी एवं जंगल इलाके के निवासियों की परम्परा वन आधारित अर्थ - व्यवस्था का संतुलन बना रहेगा जिससे जंगल की सुरक्षा की एक गारंटी भी मिल सकेगी।

(४) हर जंगल क्षेत्र में अनेक औषधियों व रसायनों की श्रोत जड़ी बूटीयों की पहचान व उनके उपयोग पर खोज होती रहनी चाहिए। उपयोगी जड़ी - बुटियों की खोज के कार्यक्रम से बूटियों (हर्ब्स) की रक्षा हो सकेगी।

आरक्षित वनों या अभ्यारण क्षेत्रों के बारे में अक्सर सुनने में आता है कि '' फलों जगर शेर या चीता नरभक्षी बन गया'' । फिर आसाम या केरल से शेर मारने के लिए शिकारी बुलाए जाते है, एक नरभक्षी बनना भी संतुलन टूटने के कारण ही होता है। जंगली सुअर, हिरण, खरगोश आदि जंगली - जानवरों की कमी होने पर बाघ, तेंदुए नरभक्षी बनते है। अत: संतुलन को बनाकर रखने के लिए [illegible]

की ओर से इस दिशा में प्रयास करने का कार्यक्रम है।

(५) लाख के वन कुछ विशेष स्थानों पर ही होते है। परन्तु बड़ी चिन्ता का विषय है कि बड़े – बड़े बांध बना कर (जैसे बस्तर में बोध घाट बांध) इन दुर्लभ वनों के विनाश का रास्ता बनाया जा रहा है। इसीलिए साल – बनो को नष्ट करने के किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया जाना चाहिए। हमारी यूनियन बोध घाट बांध के निर्माण का विरोध इसलिए करती है कि इससे साल जंगलों का विनाश होगा।

हमारी यूनियन ने राजनांदगांव जिले में प्रस्तावित मोंगरा बांध के निर्माण का भी विरोध किया क्योकि इसमें काफी मात्रा में जंगलों के कटने की आशंका थी। इस आंदोलन में यूनियन के एक मजदूर कवि का गीत '' मोंगरा के बांध बनन देवो नही भैय्या'' क्षेत्र के आदिवासीयों में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ था।

हमारी यूनियन ने अपने आफिस के पास एक छोटे से जंगल को संतुलित रूप से विकसित कर एक विकल्प को रूप देने का प्रयास किया जिसका वर्णन आने वाले अध्याय में किया जाएगा।

व्यवस्था हमेशा लकीर का फकीर बनी रहती है .

(१) कई ऐसी मुद्दे जिसे जन सामान्य आसानी से समझते है। अक्सर हमारे बुद्धिमान अधिकारीयों की समझ से परे हो जाते है। जैसे – जब जंगल इलाके के निवासी मांग करते है कि फला नदी को बांधकर, स्टांप डेम बनाकर सिंचाई व्यवस्था की जाए और जब राजस्व कर्मचारी भी खाली पड़ी जमीन पर कोई आपत्ति न करके स्टॉप – डेम निर्माण का अनुमोदन कर देते है तब वन – विभाग चौकन्न हो जाता है और उसे बांध पर '' आपत्ति'' होने लगती है। उस बांध के बनने पर बांध के आस – पास एक अच्छे जंगल के बनाने की संभावना हो सकती है। जंगली पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है, पर वन विभाग अड़ियल बनकर उस बांध के निर्माण को रोक देता है।

बड़े बांध के निर्माण के समय जंगल का उत्पादन बढ़ेगा (कटाई से) जंगल व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा और इस प्रकार विकास का दर्जा हासिल करने वाली इस योजना को वन विभाग आसानी से अनुमति दे देता है।

हमारी यूनियन बहुत सारे छोटे – छोटे बांधों के निर्माण के लिए काफी समय से संघर्ष करती रही है। और तुएगोंदी, जुगेरा आदि कई स्थानों पर छोटे बांधों का निर्माण करवाने में सफल भी हुई है।

(२) बरसात का पानी लोहा खदान की फाइन्स मिट्टी को बहाकर ले आता है। खेत या जंगल की उर्वरा भूमि पर यह फाइन्स मिट्टी टॉपसील की परत बनाकर उस जमीन का दम घोट देती है। पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जाता है पर किसी को इसकी फिक्र नही। महामाया माईन्स से बहते हुए फाइन्स के आस –पास के कई गांवों की उर्वरा कृषि भूमि या वन भूमि पर फैलकर बंजर बना रहा था बेरोकटोक। हमारी यूनियन ने [illegible]

इस पर रोक लगाई, किसानों को मुआवजा दिलाया एवं बुलडोजर की सहायता से पहाड़ी बाढ़ की मिट्टी पानी के निकास का रास्ता बनाने का प्रयास किया।

(३) अक्सर सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल का अभाव देखा जाता है। तालमेल के इस अभाव में नए प्रकल्पों की कल्पना भी नही बनती। गांव में नजूल, भूमि, घास–जमीन हमेशा विवाद के दायरे में रहती है। गांव के प्रतिष्ठित ग्रामवासी उस पर प्रति वर्ष कब्जा बढ़ाते रहते है। कभी – कभी इन जमीनों को लेकर गांव में कई गुट बन जाते है। जमीन पर कब्जे के लिए कई बार खून खराबें की नौबत आ जाती है।

यह बात बात बार – बार बताई गई है कि राजस्व विभाग व वन – विभाग तालमेल बनाकर इन पड़ती जमीनों पर उपयोगी किस्म के वृक्षों का रोपण कर सकते है। साथ में मवेशियों के लिए चारा पैदा करने की व्यवस्था हो सकती है, फिर तो '' आपरेशन फ्लड '' स्कीम के उत्पादन में एक गुणात्मक परिवर्तन इन चारागाहों का सही उपयोग सिद्ध हो सकता है। पर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन ? सिर्फ एक जनान्दोलन के सहारे ऐसी कल्पना को साकार नही किया जा सकता और जब तक एक संवेदनशील पर्यावरण मुखी विचारधारा व्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर बैठे राजनैतिक व प्रशासनिक हस्तियों को प्रेरित नही कर सकेगा तब तक यह संभव नहीं होगा। यूनियन की ओर से इस विचारधारा पर व्यापक चर्चा के प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यावरण के नाम पर हो हल्ला तो बहुत हो रहा है मगर स्थाई रूप से कुछ कर गुजरने की तमन्ना या नीयत दिखाई नहीं देती। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थाई व निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों को इस कार्य में जुटाकर ही स्थानीय निवासियों में पर्यावरण सुरक्षा की दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। आदिवासी क्षेत्रों की जनताओं की क्रय क्षमता की वृद्धि के इस मौके से इन पिछड़े क्षेत्रों की तरक्की की भी गुंजाइस बनती है। इस प्रकार के एक स्थाई विभाग का जाल पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता है। जहां पर भी एक पुलिस थाना हो वहां एक पर्यावरण थाना होना चाहिए। आज देश में १५ करोड से अधिक बेरोजगार है, पर्यावरण विभाग के जरिए कम से कम ५० लाख लोगों को सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संवेदनशील पर्यावरण प्रेमियों की इस विभाग में नियुक्ति होनी चाहिए।

अपने जंगल को पहचानो, अपने परिवार को पहचानो

अपने एक निकट रिश्तेदार, जिन्हे हमने कभी देखा न हो, उनकी मृत्यु की खबर भी हमे उतना व्याकुल नही करती जितना कि हम अपने मोहल्ले के जाने – पहचाने व्यक्ति की दुर्घटना की खबर से विचलित हो जाते है। अपने जंगल से परिचय व उसके प्रति लगाव के बीच भी कुछ ऐसा ही संबंध है। मै जंगल के बारे में नहीं जानता, अपने टंगिए की

जाता है। अपने जंगल से मेरी अपरिचितता के कारण ही ऐसा हुआ। इस समझ के आधार पर आज से करीब सात वर्ष पहले यूनियन ने '' अपने जंगल को पहचानों '' नाम से एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया और आज भी इसकी गतिविधियां जारी है। इसके तहत –

(क) अपने जंगल के उपयोगी वृक्षों की चुनकर रोपण किया गया। इन वृक्षों में बांस, सल्फी, महूआ, आम, जामुन, फरहर, शीशम, बेर, सागौन, नीम, कर्रा आदि शामिल थे।

(ख) कुछ ऐसे उपयोगी वृक्ष जो प्लांटेशन के तहत उगाए जाते है। जैसे काजू, चंदन व यूकलिप्टस की विभिन्न किस्में आदि का इस छोटे से जंगल में रोपण किया गया।

(ग) बांस की कटंगी, स्थानीय एवं विभिन्न प्रकार की अन्य किस्में भी लगाई गई।

(घ) '' फिर से जंगल को वापस करो'' कार्यक्रम के तहत नीबू, रूख, अरहर, (एक प्रकार का अरहर जिसका झाड़ तीन चार साल तक टिकता है) करज, करौंदा आदि को लगाया गया।

इसी प्रकार खम्हार, कदम्ब, बादाम, रेनट्री, नारियल आदि को भी यहां रोपण किया गया। इन सात वर्षो में यह एक छोटे से जंगल का रूप ले चुका है और यूनियन के सदस्य इसे '' अपना जंगल'' कहकर गौरव अनुभव करते है।

परिणाम :

(१) इस प्रयोग से हम एक तो यूनियन कार्यालय के आस – पास के फालतू जमीन का उपयोग कर पाए।

(२) मजदूर साथियों में पेड़ लगाने के प्रति उत्साह पैदा। हुआ और उन्होने अपने – अपने घरों में पेड़ लगाना शुरू किया। जहां पहले हरियाली नजर नही आती थी आज वह क्षेत्र मजदूरों के घरों में लगे लाखों पेड़ों से हरा भरा हो चुका है।

१. हम सरकारी प्लांटेशन कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी समझ को गहरा बना पाए और हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि सरकारी योजना पर आधारित जंगल (प्लांटेशन) लगाया जाता है , वहां साधारणत: ४०% पेड़ कामयाब होते है। शेष ६०% नष्ट हो जाते है इस पर आम जनता की देख रेख या हिस्सेदारी नही होती।

यदि आम जनता के सहयोग व हिस्सेदारी से प्लांटेशन कार्य हो तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा :–

(क)	बांस के झाड़	१५% यह बांस स्थानीय निवासियों के मकान निर्माण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा।
(ख)	स्थानीय वन उपज के पेड़	३५% जैसे कि चार, महुआ, बेल, आंवला कैद
(ग)	अन्य उपयोगी वनस्पति	२०% रूख, अरहर, बादाम, काजू, चंदन

(घ)	सरकारी स्कीम के तहत अन्य पेड़	३०% जिन पेड़ोंको वन विभाग प्लांटेशन के तहत लगाता है।
	कुल क्षेत्र	१००%

२. "अपने जंगल को पहचानों" कार्यक्रम के तहत यूनियन ने जिन पेड़ों को उगाया, आज उनका एक बड़ा हिस्सा काफी विकसित हो चुका है। अब इन वृक्षों पर एक – एक तख्ती / बोर्ड लगाया गया है जिन पर पेड़ का स्थानीय नाम ....

हिन्दी नाम ....

वैज्ञानिक नाम ....

व किस परिवार से उक्त वृक्ष संबंधित है, इसकी जानकारी अंकित की गई है। इससे इन पेड़ों का पूर्ण परिचय संभव हो जाता है। स्कूल के विद्यार्थी इन जानकारियों से अपनी वनस्पति विज्ञान की समझ पुख्ता बनाते है।

३. यूनियन की ओर से इन वृक्षों में से हरेक के उपयोग की जानकारी दिन में कितना आक्सीजन पैदा कर सकता है इसकी जानकारी आदि विशिष्ट तथ्यों पर पुस्तिकाएें तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रकार " अपने जंगल को पहचानो " के तहत हम अपनी दुनियां के सबसे विश्वस्त साथी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाये है और उनसे आम जनता का परिचय कराने में प्रयासरत है जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी तैयार हो सके। वह पूरा कार्यक्रम यूनियन अपने सीमित साधनों के आधार पर चला रहा है।

कुदरत ने हमे एक जल श्रोत दिया था !

दल्लीराजहरा के निवासी सदियों से दल्ली नाला व झरन नाला से अपनी आवश्यकताओं की निस्तारी करते रहे है। स्थानीय गोंड़ जाति के आदिवासी इन प्राकृतिक नालों से ही पानी की अपनी जरूरतों की पूर्ति करते थे। ये प्राकृतिक नाले किस कदर जन – जीवन के आधार थे यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि कितने ही गांवों के नाम इन नालों के नाम पर से पड़े थे। जैसे – झरनटोला, अरमुरकसा (एरमुरकसा) यानि पानी – किनारे छोटी झील।

दल्लीराजहरा के हजारों मजदूर एवं आस – पास के हजारों आदिवासी आज भी इन नालों के पानी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते है। मगर जब दल्ली केशिंग प्लांट बना, और वाशरी के कारण नाले का पानी प्रदूषित होने लगा। पानी के इस प्रदूषण को रोकने के लिए यूनियन की ओर से मांग रखी गई। तनिक सुनवाई हुई, तनिक सुधार हुआ। अब इस लाने में रक्तिम लाल पानी की जगह संतरा रंग का पानी प्रवाहित होता है। यूनियन की मांग के आधार पर दल्ली राजहरा के मजदूर क्षेत्र में पेयजल के लिए ८९ ट्यूबवेल डेढ वर्ष के अंतराल में [illegible]

ऐसे ट्यूबवेल लगने से साफ पेयजल की व्यवस्था कुछ तक हो पाई है।वर्तमान समय में केडिया डिस्टिलरीज लिमिटेड शराब कारखाने द्वारा शिवनाथ नदी के पानी को प्रदूषित करने के खिलाफ व्यापक जन आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया है जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर,किसान,बुद्धिजीवी,पर्यावरण – प्रेमी शामिल है एवं इन सबकी सहायता से भविष्य का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी : बनाम ध्वनि प्रदूषण

पन्द्रह वर्ष पूर्व जिन दिनों दल्ली राजहरा की दैनिक मजदूरी तीन रूपये से अधिक नही होती थी , ध्वनि प्रदूषण सामाजिक जीवन को त्रस्त नही करता था। यूनियन के संघर्ष से मजदूरों का वेतन बढ़ता गया। आज यहां के मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी ७० रू. से अधिक है। इसी के साथा – साथ ही पनपी माइक्रोफोन की दुकाने, मुक्कर मुस्तों की तरह। हर गल्ली मुहल्ले में फिल्मी गानों के कैसेट, लाउड स्पीकरों पर फुल वाल्यूम पर बजने लगे। छठी हो या विवाह या फिर सत्यनारायण जी की कथा, किसी भी सामाजिक अनुष्ठान के लिए माइक्रोफोन का उपयोग एक परम्परा बन गई। दुकानदारों ने मजदूरों को लुभाने के लिए लाउड स्पीकरों का बहुतायत से इस्तेमाल शुरू किया। ध्वनि प्रदूषण अपनी चनम सीमा पर था। यूनियन ने अपनी मुहल्ला – कमेटियों का निर्माण कर, अपने शहीद अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी , मजदूरों, साथियों की सहायता से ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है और लाउड स्पीकरों के उपयोग को कम करने का प्रयास शुरू कर चुका है। दुकानदारों को भी यह समझाइश देने के प्रयास शुरू कर चुका है। दुकानदारों की भी यह समझाइश देने के प्रयास किए जा रहे है।

हम उनसे सुनेंगे, हम उनसे सीखेंगे

सदियों के कवि व लेखक, प्रकृति के वर्णन में नचनाएं रचते आये है। हमारे देश व अन्य देशों के कथाओं में ऐसे वर्णनों के अनेक उदाहरण हमारे सामने है। एसी कृतियों की जानकारी रखना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भावनात्मक बुनियाद को तैयार करना है।

आज देश – विदेश में वैज्ञानिक कई प्रकार के आंकड़ो का सहारा लेते हुए पर्यावरण की सुरक्षा पर गहरी चिन्ता व्यक्त कर रहे है। अपनी ट्रेड यूनियन की मीटींगों में इन वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा कर मजदूर पर्यावरण पर अपने तर्क को मजबूत बननते है। फिर हम कुछ पर्यावरण – प्रेमी आन्दोलनों के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठी करते है। प्रकृति के दुश्मनों ने टिहरी बांध बनाकर क्षेत्र के संतुलन को बिगाड़ने के लिए जी जान लगा दिया। हम पंडित सुन्दरलाल बहुगुणा के विचारों व कार्यक्रमों की आत्मसात कर लेते है और उनके

एक क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप में मान्यता देते है। जब नर्मदा घाटी क्षेत्र में ''बांध नही बनेगा'' आन्दोलन शुरू होता है। हमारी यूनियन के सैकड़ों साथी घाटी में जाकर बाबा आमटे के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को तन – मन से साथ देते है। केरल की सायलेंट वेली' आंदोलन में पर्यावरण प्रेमियों की सफलता हमें उमंग से भर देती है। अमेरीका की रेड इंडियन जनताओं का प्रकृति के प्रति प्रेम , प्रकृति और जन्मभूमि को एक कार कर देखने की भवना के साथ हम भी घुल मिल जाते है। हमारे यूनियन दफ्तर में इन सब पर चर्चा होती है। मजजूर साथी भाई – चारा आंदोलन करते है , पर्यावरण प्रेमियों को अपने परिवार का सदस्य समझ कर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाने की कोशिश करते है।

मजदूर अब मजदूर न रहे हमने उन्हे मजबूर किया.

पर्यावरण के मुद्दे पर यूनियन की जागरूकता को भिलाई इस्पात संयत्र की मैनेजमेंट भी अनदेखा न कर सकी।

शुरू में तो मैनेजमेंट के लोग बेपरवाह थे। खदान परिक्षेत्र में हमेशा धूल का गुबार छाया रहता था, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में खदान की कच्ची सड़कों पर से ट्रक या डम्पर आदि के गुजरने से बहुत धुल उड़ती थी। मेडिकल जांच में मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी का होना पाया गया।

यूनियन ने इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया व मैनेजमेंट से कारगर कदम उठाने की मांग की। राजनांदगांव स्थित कपड़ा मिल में वहां की विशेष परिस्थितयों पर तो यूनियन ने लम्बा आंदोलन भी चलाया।

अब दल्ली राजहरा के खदानों में, खदानों की सड़कों पर मैनेजमेंट द्वारा पानी का छिड़काव कर उड़ते धूल कणों को रोकने के कदम उठाए जा रहे है। इसी प्रकार खदान क्षेत्र में हो रहे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के खिलाफ भी कारगर कदम उठाए गए। ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित मजदूरों का इ.एन.टी. विभाग के जरिए नियमित इलाज यूनियन के प्रयासों पर ही किया गया।

इनको रोक पाना मुस्किल है पर असंभव नही

एक था राजा। वह अपने मंत्री के भ्रष्टाचार से परेशान था। राजा ने मंत्री को समंदर किनारे ट्रान्सफर कर दिया और सोचा कि अब वह भ्रष्टाचार नही कर पाएगा। मंत्री समंदर के किनारे गया और उसने समंदर की लहरों को गिनने का काम अपने हाथ में ले लिया। वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर मंत्री जी ने अपने लहर गिनने के काम में रूकावट डालने के नाम पर जुर्माना ठोकना शुरू किया। मंत्री जी [illegible]

इस देश में लहर गिनने वाले अधिकारियों की कमी नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा की आड़ में भी लहरों की गिनती चल रही है। बड़े – बड़े उद्योग जैसे – भिलाई स्पात संयंत्र ने अपने – अपने पर्यावरण विभाग बनाए। जिन अधिकारियों की किसी काम में दिलचस्पी नही होती उनका पर्यावरण विभाग में पुर्नवास किया जाता है।

२. कहीं तो पेड़ – पौधों के रोपण के नाम पर ठेका दे दिया जाता है, झाड़ो की गिनती बढ़ा – चढ़ाकर बताई जाती है, रूचि के अभाव में आये पेड़ – पौधे दूसरे साल ही समाप्त हो जाते है , इस प्रकार के कार्यक्रमों का यूनियन विरोध करती आई है।

सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग, बी.के. इंजीनियरिंग आदि भिलाई के उद्योगपति पर्यावरण सुरक्षा की आड़ लेकर वृक्षारोपण हेतु बाढ़ लगा देते है और कुछ दिन पश्चात इन सरकारी जमीनों पर अपना स्टाफ यार्ड / डम्प यार्ड बना लेते है। समय के साथ – साथ एक दिन वहां का पर्यावरण संबंधी प्लैकार्ड टूट जाता है, सरकारी जमीन उनकी अपनी जमीन कहलाने लगती है। यूनियन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है।

३. तीन – चार वर्ष पहले भिलाई इस्पात संयत्र मैनेजमेंट दल्ली स्थित मयूर पानी पहाड़ी में परम्परागत पद्धति की मानविक खदानों (मेनुअल माइन्स) को बंद कर मशीनीकृत माइन्स शुरू करने के फिराक में था और इसके लिए वह पर्यावरण सुरक्षा का तर्क भी देने लगा। यूनियन ने सवाल किया कि '' जहां टॉपसील नही है, और हजारों वर्षो में भी टॉपसेल नही बन पाएगी, वहां पर यह वृक्षारोपण किस प्रकार से कामयाब हो सकता है''। यूनियन के तर्क के सामने मैनेजर द्वारा विरोध किया गया था। राजनांदगांव जिले की चांदी डोंगरी माइन्स में भी वन विभाग ऐसी ही साजिस कर रहा है जिसका कि यूनियन विरोध करता आ रहा है।

४. आजकल कहीं – कहीं तो पर्यावरण को हवा बनाकर व पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ लेकर उद्योग – विरोधी विचारधारा को बल दिया जा रहा है। यूनियन इस तरह की विमूर्त वेचारधारा के खिलाफ आवाज उठा रहा है।

हकीकत यह है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, अपने भूगोल की रक्षा करनी होगी। जंगल, पेड़, पौधे, पीने का साफ पानी, शुद्ध हवा, पशु – पक्षी और इंसान ये सब मिलकर हमारी दुनिया हैं। हमें अपने संवेदनशील विचार के आधार पर लचीले कार्यक्रम के आधार पर, प्रकृति के संतुलन और विज्ञान के संतुलन को बनाकर रखना होगा और यह मान चेतना के विकास के आधार पर किया जा सकेगा।

छोटी – छोटी बातें, हजारों दुख गाथाएँ

समझने में सीधी और आसान

कहीं सिर्फ एक या दो मामूली सी पहचान

धूल कण, एक पेड़ का गिरना, कहीं से थोड़ा सा रिसाव

चूल्हे का उष्म धुओं

हमारी आवाज शर्मिन्दा होकर

छुप जाती है मशीनों के बाजार में

सिर्फ वेदनाऐं, दुख की गाथाऐं

चलती रहेगी अनन्त काल तक ?

या

हम, उठ खड़े होंगे

अन्तिम क्षणों पर, अन्त नहीं होगा,

जहां अन्त होना था

वहीं शुरूआत की सुबह खिल उठेगी।

शंकर गुहा नियोगी
जन्म : 14 फरवरी, 1943
शहादत : 28 सितम्बर, 1991

व्यक्ति भले मर जाये,
विचार नहीं मरता
इसीलिए
विचारवान व्यक्ति मरने से नहीं डरता।
कर्महीन कोरा विचार शायद मर सकता है।
लेकिन
यदि वह कर्म की कोख से जन्मा हो,
तो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है।
इसीलिये जिसने कर्म किया,
कर्म की कोख से निकले विचार को जिया,
हत्या से वह अमर हो जाता है।
अपने से निकल लाखों में समाता है।
व्यक्ति हत्या के बाद,
विचार बीज की तरह बिखरता है,
चारों ओर अंकुरित हो, और निखरता है।
इसलिए हे शंकर गुहा नियोगी
तुम मरे नहीं हो, कई गुना बढ़ गये हो
सत्ता पूंजी के जघन्य अपराध को
रौंदकर ऊपर चढ़ गये हो।

श्याम बहादुर 'नम्र'